

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी सोरांव प्रयागराज

पत्रांक: एफ.पी./ एफ.एस.ओ./आई-6/एफ.एस.202

दिनांक: 01 अक्टूबर 2022

सेवा मे

प्रबन्धक /प्रधानाचार्य
एम.पी.वी.एम. गंगागुरुकुलम्
गद्दोपुर फाफामऊ प्रयागराज

विषय: एम.पी.वी.एम. गंगागुरुकुलम् गद्दोपुर फाफामऊ प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं का फायर ऑडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रो०/प्रबन्धक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में एम.पी.वी.एम. गंगागुरुकुलम् गद्दोपुर फाफामऊ प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं फायर ऑडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्रगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा एवं प्रिवेन्शन एण्ड फायर प्रोटेक्शन का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के समय अग्निशमन व्यवस्थायें निम्नवत् पायी गयी-

01. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्स्टिंग्यूशर)- भारतीय मानक ब्यूरो को आई.एस. 2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये

02. कार्यस्थल तक पहुँच मार्ग उपलब्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर एम.पी.वी.एम. गंगागुरुकुलम् गद्दोपुर फाफामऊ प्रयागराज का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का फायर ऑडिट प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

01. प्रो०/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाये और उसी के अनुरूप कार्यशील दशा में रखा जाये।
02. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जाये।
03. भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा
04. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय फायर स्टेशन को दी जाये
05. इमरजेन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाय और इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को दी जाये।
06. प्रत्येक 6 माह में एकबार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करायी जाये।
07. वर्ष में एकबार उपकरणों की निर्धारित टेस्टिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
08. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम के अकार्यशील दशा में पाये जाने पर निर्गत किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रो०/ प्रबन्धक की होगी।

Krishna Gupta

Dr. Krishna Gupta
Secretary

Maharshi Patanjali Vidya Mandir Samiti
2, Shilakhana, Teliarganj
Prayagraj-211004

Shivastava

Principal

MPVM Ganga Gurukulam
Gaddopur, Phaphamu
Prayagraj-211013
CBSE Aff. No. 2130645
School Code - 70026

Rmt 10/1

(रमई राम)
प्रधानाचार्य
अग्निशमन केन्द्र सोरांव
महागुरुकुलम्
जनपद-प्रयागराज